

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, रोवटर-18 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल: seiaacg@gmail.com

विषय— राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/02/2020 को संपन्न 315वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—000—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 315वीं बैठक श्री वीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 27/02/2020 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. श्री. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार शौरदा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री. एम.अश्वयुषाच, खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री भोराकर विद्यास सदियान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति


समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: दिनांक 26/02/2020 को संपन्न 314वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 314वीं बैठक दिनांक 26/02/2020 को संपन्न हुई। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: मौखिक/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मेडेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.—श्री राजय अग्रवाल), थाम—मेडेसरा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 7351)

 ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28527 / 2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48358 / 2018, दिनांक 13/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संकलित मृदा परधर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान राम-मंडेसरा, तहसील-धम्बा, जिला-दुर्ग, स्थित खनार क्रमांक 1015 एवं 1018, कुल लीज क्षेत्र 3.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,500 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकारण उत्खनन की संपी का है। इस प्रकारण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीआरआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकारण के तथ्य निम्नानुसार है-

1. राम मंडेसरा मंडेसरा द्वारा दिनांक 11/04/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वितीय स्कीम ऑफ माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान प्यूर, नागपुर के आपन क्रमांक / टीआरजी / एलएचटी / एनपीएलएन-839 / एनजीपी, दिनांक 22/08/2013 जो वर्ष अक्टूबर 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक 602/खनि.लि. 2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 05 खदानें रकबा 84.11 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. निकटतम आवादी राम-नदिनी-खुदनी 0.96 कि.मी. एवं शहर धम्बा 9.2 कि.मी., समूह राम-नदिनी-खुदनी 1.48 कि.मी., अस्पताल राम-नदिनी-खुदनी 1.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन मिलाई पावर हाउस लगभग 19.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.92 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.3 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिरण क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
6. लीज जीड भी संजय अभयारण्य के नाम पर है, जो 30 वर्षों के लिए दिनांक 24/07/2003 से 23/07/2033 तक की अवधि हेतु है।
7. गियोलॉजिकल रिजर्व 10,20,500 टन एवं माइनेबल रिजर्व कुल 7,74,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.6 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 20 मीटर प्रस्तावित है। आपन वास्तु विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 10 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 6,450 घनमीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। बेस की अल्टीमेट चौड़ाई 3 मीटर एवं ऊंचाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जैक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं स्टाबिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। जल उपयोग की मात्रा 7 किलोलीटर प्रतिदिन (ड्रस्ट सप्लेशन किलो लीटर प्रतिदिन, डीन बस्त 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्रोत भू-जल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं कुक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में कुक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2003-2004	1216
2004-2005	14,968
2005-2006	10,661
2006-2007	9,001
2007-2008	12,692
2008-2009	8,135
2009-2010	16,276
2010-2011	16,766
2011-2012	16,276
2012-2013	16,900
2013-2014	20,467
2014-2015	21,665
2015-2016	23,420
2016-2017	19,210
2017-2018	750
2018-2019	निरक

**उत्खनन की वर्षवार योजना
(द्वितीय स्कीम ऑफ माइनिंग प्लान अनुसार)**

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2013-14	25,500
2014-15	25,500
2015-16	25,500
2016-17	25,500
2017-18	25,500

नोट: तालिका में दशमलव को बाद के अंकी का राउण्डऑफ किया गया है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का अ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फॉर्मेशनट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशनट मनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उत्खनन का होने से कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के निरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति /

संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु घटतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा भरती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—**

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 60 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरुंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी संचय अग्रवाल प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरान्त आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई जांचित जानकारी एवं समस्त सुरुंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. 13लीसगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अडवाल, प्रोजेक्ट इंटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिट्टु इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. लीज क्षेत्र की धारी और 7.5 मीटर क्षेत्र में उल्लंघन नहीं किया गया है।
2. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विद्यमान क्लस्टर के संचालन उपरान्त क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साइट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साइट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डस्ट्यूबी.एम. नरमता एवं जल छिड़काव कर मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.₁₀ 92.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी निवृत्तन उपाय (Mitigation measure) एवं पट्टीय मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षाच्छादन से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।
5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरान्त विमानानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 35	2%	Rs. 0.70	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Medesara	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking	Rs. 0.32

		water Facility	
		Plantation	Rs. 0.05
		Total	Rs. 0.70

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मुख्य की दुकान के सामने ग्राम-महेरावा तहसील-बम्हा, जिला-दुर्ग में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक संघस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर को पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
7. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. इस क्षेत्र की अत्यंत समस्या जहियारा से पीवर होजस रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा राइफे अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संभारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
- ii. ब्लॉकिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लॉकिंग होना चाहिए जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्वार जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्वार को पूर्णतः कवरड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
- iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
- iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।
- v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी उठता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लॉकिंग से बहुत आवाज आती है। जैववैज्ञानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।
- vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संभारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. डी.एम.एफ. की राशि या सी.एलटी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।
- ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

- iii. शिक्षित रोजगारी को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।
- v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।
- vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, धारा एवं एस्टीमेट सहित कार्यवाह व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं साधारण पवित्रण के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिन्नकाय व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध सुती भूमि में कूड़ासंग्रह, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परियोजीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का अधिकतम कर तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमिडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आनुमंडेशन प्लान, इन्व्हायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
6. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, कूड़ा की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।



रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री संजय अग्रवाल (नदनी-खुदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम-नदनी-खुदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 735B)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28525 / 2018, दिनांक 02 / 08 / 2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48408 / 2018, दिनांक 14 / 12 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15 / 01 / 2016 के पूर्व से संचालित घुना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-नदनी-खुदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447 एवं 452, कुल लीज क्षेत्र 2.03 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15 / 01 / 2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकारण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकारण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27 / 10 / 2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकारण के तथ्य निम्नानुसार हैं-

1. ग्राम पंचायत नदनी-खुदनी द्वारा दिनांक 20 / 04 / 2001 को जारी अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोसेसिंग माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.प.) के पत्र क्रमांक / दुर्ग / वृष / खानो-316 / नाग / 2016 / 16 रायपुर दिनांक 12 / 08 / 2016 जो वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 601 / खनि लि.2 / खनिज / 2017 दुर्ग, दिनांक 30 / 05 / 2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिसर में कुल 10 खदानें रकबा 62.58 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. निकटतम आसदी ग्राम-पधरिया 1.31 कि.मी. एवं शहर धमधा 6.7 कि.मी., स्कूल ग्राम-पधरिया 1.37 कि.मी., अस्पताल ग्राम-पधरिया 1.46 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस लगभग 22.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.47 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1.18 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज क्षेत्र श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 05 / 01 / 1995 से 04 / 01 / 2015 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263 / खनिज / 2015 दुर्ग, दिनांक 05 / 10 / 2015 द्वारा खनिजटटे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बावजूद पत्र जारी किया गया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व 7,32,500 टन एवं गार्डनवेल रिजर्व 3,60,500 टन है। लीज क्षेत्र के घातों और 7.5 मीटर (0.45 हेक्टर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। आपन कार्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 16 मीटर प्रस्तावित है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है बस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 40 वर्ष है। जल उपभोग की मात्रा 5 किलोलीटर प्रतिदिन (हस्त संप्रेषण 2 किलोलीटर प्रतिदिन, यीन वेल्ड 2 किलोलीटर प्रति दिन एवं फरेलु उपभोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू-जल है। लीज क्षेत्र के घातों और 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। वर्तमान में 700 मम वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
1994	निरक
1995-1996	60
1996-1997	2,990
1997-1998	4,008
1998-1999	3,012
1999-2000	4,810
2000-2001	7,600
2001-2002	4,970
2002-2003	2,660
2003-2004	930
2004-2005	350
2005-2006	370
2006-2007	1,929
2007-2008	1,089
2008-2009	4,721
2009-2010	6,631
2010-2011	9,264
2011-2012	4,797
2012-2013	2,340
2013-2014	9,548
2014-2015	3,883
2015-2016	360
2016-2017	3,215
2017-2018	40
2018-2019	निरक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन (एन)
2017-2018	9,000
2018-2019	9,000
कुल	18,000

नोट: तालिका में दरमास्तर के बाद के अंकों का राउण्डअप किया गया है।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी. उत्तीरगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना क्र. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्डोयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्डोयरोमेंट मनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उत्खनन का होने के कारण एस.ई.आई.ए. उत्तीरगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संधालन सम्मति जारी नहीं किया जाने हेतु उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्ड अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर समूची जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम₁₀ 24.8 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रियों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस संबंध ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजय अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना समय नहीं है। अंत आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तराग्रय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई घोषित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार ध्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटू इन्धायरो कैंपस भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 में 9.548 टन, वर्ष 2014-15 में 3.863 टन, वर्ष 2015-16 में 360 टन, वर्ष 2016-17 में 3.215 टन एवं वर्ष 2017-18 में 40 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत जून 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कोकन इन्धायरोमेटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विधायकीन क्लस्टर के संघालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन

कमालक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा अवांमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग पर डबल्यू.पी.एम. मस्मक एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.₁₀ 92.5 नाईकोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 नाईकोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान की आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को राशदा विस्तार से यहाँ उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 45	2%	Rs. 0.90	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nandini-Khundini	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.44
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.14
			Total	Rs. 0.90

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 घात 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम-मंडेसरा तहसील-धनबाद, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
8. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. इस क्षेत्र की ज्वलत समस्या अहिंसा से पीपर सौजरा रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गार्दिया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा

सड़के अव्यक्त जर्जर ही चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संभारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

- क. ब्लारिस्टम एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लारिस्टम होना चाहिए जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्वारर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्वारर को पूर्णतः कवर होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
- ख. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
- ग. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।
- घ. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी टहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लारिस्टम से बहुत आवाज आती है। अधिनाशिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।
- ङ. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी वाहनें चलती हैं, उससे बहुत दुर्गन्ध होती है। इनकी गति में रोक लागू जाए। रोक वर भी संभारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. डी.एम.एफ. की राशि या रीवेल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।
- ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।
- v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कुफरों को भी दिया जाएगा।
- vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2013-14 में 9,740 टन, वर्ष 2014-15 में 9,800 टन, वर्ष 2015-16 में 3,800 टन, वर्ष 2016-17 में 3,215 टन एवं मई 2017 तक में 40 टन है। वर्तमान में वर्ष 2013-14 में 9,548 टन,

वर्ष 2014-15 में 3,863 टन, वर्ष 2015-16 में 360 टन, वर्ष 2016-17 में 3,215 टन एवं वर्ष 2017-18 में 40 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्याचार क्रम का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
 4. क्लस्टर हेतु कौमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विनिर्दिष्ट विभिन्न कार्यों (जथा क्लस्टर के सड़कों/एग्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संभारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एग्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिद्रकाय व्यवस्था, सड़कों/एग्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
 5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 6. उत्खनन आवृत्ति में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेष्टीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आनुमंडेशन प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
 7. उत्खनन आवृत्ति में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, कृषि की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
 8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेरास पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), धाम-पथरिया, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 697)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 24919 / 2018, दिनांक 13 / 04 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48404 / 2018, दिनांक 14 / 12 / 2018 द्वारा पार्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15 / 01 / 2018 के पूर्व से संचालित कुना पत्थर (मुख्य स्वनिज) खदान है। यह खदान धाम-पथरिया, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खस्ता क्रमांक 751, 752, 753, 754, 755, 756 एवं 757, कुल लीज

क्षेत्र 3.47 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 को पर्याप्त दिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैं-

1. ग्राम पंचायत फारिया (रख.) द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी अग्रपंक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैडिकलकेशन ऑफ माइनिंग प्लान एंड प्रोसेसिंग माइनिंग क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/ बुध/ खगो-005/ नाम/11/रायपुर, दिनांक 10/06/2016 (अवधि 2016-17 से 2018-19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक खनिज/ 2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 87.09 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. निकटतम आबादी ग्राम-नदनी-सुदनी 0.94 कि.मी., शहर रमवा 8.2 कि.मी., स्थूल ग्राम-नदनी-सुदनी लगभग 1.3 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-नदनी-सुदनी लगभग 1.18 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यगर्भ 1.87 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.17 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेक्ली पीएल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु लीज बीड श्री ए.के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 02/10/2003 से 01/10/2023 तक की अवधि हेतु है।
7. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1283/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिजपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पुराने अनुका पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. जियोलाजिकल रिजर्व 858,500 टन एवं माइनेमल रिजर्व 4,07,080 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.50 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन आपन कार्ट मैनुअल विधि से किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 32 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेस की अल्टिमेंट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की सम्पादित आयु 45 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जैक रैमरड्रिल का उपयोग एवं स्लारिफिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (इस्ट संप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी प्रतिदिन है। जल का स्रोत भू-जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रकाव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994-2006	निरक
2006-2007	4.740
2007-2008	15.383
2008-2009	11.200
2009-2010	6.700
2010-2011	6.100
2011-2012	8.800
2012-2013	8.500
2013-2014	18.600
2014-2015	4.900
2015-2016	8.650
2016-2017	6.500
2017-2018	निरक
2018-2019	निरक

उत्खनन की प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017-18	9,000
2018-19	9,000
कुल	18,000

9 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा अधिसूचना का अ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फॉर्मेट इम्पेक्ट अरोसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेट मनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित भेजी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीम कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उत्खनन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण -

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 के माध्यम किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 31 स्थानों पर मू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सराही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 24.8 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर एरबी, 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 69.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरान्त आयोजित बैठक में पूर्व में वाली गई साक्षित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार ध्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिट्टु इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए।

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अधलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 में 18,600 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत मार्च 2017 से खदान बंद है।
- लीज क्षेत्र की चारी और 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
- क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- प्रस्तुतीकरण की दौरान ध्वनि की प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिक्रमण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विद्यमान क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-4) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-4A) में परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति कारण होना है। अतः उक्त मार्ग का इन्ड्यूवी.एम. भरमात एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.₁₀ 82.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं महुव मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित संघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को ओ.एम. दिनांक-01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्ध विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Pathariya	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.35
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.12
Total			Rs. 0.80	

1. The first part of the report is devoted to a general overview of the company's activities and the results achieved during the reporting period. It also includes information on the company's financial position and the results of its operations.

2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's financial performance. It includes information on the company's revenue, expenses, and profit, as well as on its assets and liabilities.

3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's operational performance.

3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's operational performance. It includes information on the company's production, sales, and service, as well as on its customer satisfaction and market share.

4. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's environmental and social performance. It includes information on the company's environmental impact, its social responsibility, and its contribution to the community.

5. The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's risk management. It includes information on the company's risk assessment, its risk mitigation strategies, and its risk monitoring and reporting mechanisms.

6. The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's governance. It includes information on the company's board of directors, its management team, and its internal control systems.

7. The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's future prospects. It includes information on the company's strategic vision, its growth opportunities, and its challenges.

8. The eighth part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's financial outlook. It includes information on the company's financial forecasts, its capital structure, and its financing needs.

9. The ninth part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's compliance. It includes information on the company's compliance with applicable laws and regulations, its internal control systems, and its reporting mechanisms.

10. The tenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's sustainability. It includes information on the company's sustainability strategy, its sustainability goals, and its reporting mechanisms.

11. The eleventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's human resources. It includes information on the company's human resources strategy, its human resources management practices, and its reporting mechanisms.

12. The twelfth part of the report is devoted to a detailed analysis of the company's information technology. It includes information on the company's information technology strategy, its information technology management practices, and its reporting mechanisms.



- iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।
- v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।
- vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संभालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2013-14 में 16,400 टन है। वर्तमान में वर्ष 2013-14 में 18,600 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संख्या में स्थिति स्पष्ट की जाए।
 2. साउथवर्स्ट रीवर में जल की गहराई के मापन के संख्या में प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्रवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
 4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वॉयरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न विभिन्न कार्य (जथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिदहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सार्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्य को निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
 5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल साउथवर्स्ट अथॉरिटी से प्राप्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 6. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा मेनुबुल एण्ड कम्प्यूनिटी आमूमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
 7. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, कुओं की कटाई नहीं किए जाने आदि के संख्या में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
 8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (बी. ए. के. वर्मा), ग्राम-पथरिया, तहसील-धनघा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 698)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 25048 / 2018 दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48449 / 2018 दिनांक 14/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित गुना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-पथरिया, तहसील-धनघा, जिला-दुर्ग स्थित नार्थ ओफ खसरा क्रमांक 751 एवं 752, कुल लीज क्षेत्र 2.16 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के लिये निम्नानुसार है-

1. ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी अभाषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. नॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोसेसिंग माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान निबंधक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग / घूप / खसरा-314 / नाम / 12-रायपुर, दिनांक 09/08/2016 (अवधि 2016-17 से 2018-19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 608/खनिज/2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकता 68.22 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. निकटतम आवादी ग्राम-नदनी-खुदनी 0.9 कि.मी., शहर धनघा 8.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-नदनी-खुदनी लगभग 1.34 कि.मी., प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-नदनी-खुदनी लगभग 1.25 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.95 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.24 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफ्टली वॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिशोधित किया है।
6. लीज डीड बी. ए. के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षों अवधि 02/04/1994 से 01/04/2014 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिजपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने कायदा पत्र जारी किया गया है।
8. जियोलाजिकल रिजर्व 7,92,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,76,200 टन है। लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन

ओपन कास्ट मैनुअल विधि से किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की अल्टिमेट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 8 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्लेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, फ्लॉटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं धरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल का स्रोत भू-जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिखकाप किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में फसारीपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
1994-1995	50
1995-1996	2,010
1996-1997	7,370
1997-1998	16,170
1998-1999	7,280
1999-2000	3,310
2000-2001	800
2001-2002	50
2002-2003	17,900
2003-2004	10,910
2004-2005	13,760
2005-2006	14,040
2006-2007	5,921
2007-2008	22,523
2008-2009	18,000
2009-2010	6,300
2010-2011	6,400
2011-2012	6,850
2012-2013	5,650
2013-2014	3,400
2014-2015	6,550
2015-2016	3,400
2016-2017	7,600
2017-2018	निरक
2018-2019	निरक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
------	-------------------------------

2017-18	9,000
2018-19	9,000
कुल	18,000

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के छापन दिनांक 14/02/2019 द्वारा अधिसूचना क्र. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीयरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित कंपनी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नील कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण तत्समय का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के छापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जनकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अर्धवृत्त 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्वीती की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जनकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु

निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक को एक दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिट्टु इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में 5,650 टन वर्ष 2013-14 में 3,400 टन एवं वर्ष 2014-15 में 6,550 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरोक्त मार्ग, 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरक्षण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विद्यमान क्लस्टर के संचालन उपरोक्त क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के नीचे है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम₁₀ 63 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साइट-5) एवं 6 (प्रोजेक्ट साइट-6) में परिवेशीय वायु में पी.एम₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिक्रमण हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का इन्स्यूलीटिंग, मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम₁₀ 92.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर एवं

89.2 माईकोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पर्याय मार्ग तथा खदान के असा-पारा में प्रस्तावित स्थान वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुरोध सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समस्त विस्तार से बची उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Pathanya	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fensong	Rs. 0.12
Total			Rs. 0.80	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम-नेडेसर तहसील-धम्बा, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज रुद्रस्य शक्ति, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर को पत्र दिनांक 28/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
8. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

- i. इस क्षेत्र की जलसत समस्या अहिवाल से पीपर हीउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गड्डिया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं। इन मार्गों को सी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संवारण करवाया जाये। सी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
- ii. प्लान्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर प्लान्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुनक्षित रागे। खदान एवं क्वारि जी बंद होना उसने शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्वारि को पूर्णतः बन्द होकर जल छिड़काव की

- व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
- iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित खानों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
 - iv. खदान में धातु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।
 - v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। खानों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्लास्टिक से बहुत आवाज आती है। अकैमिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।
 - vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी वहनें चलती हैं, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागू जाए। रोज का भी संचालन किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. डी.एम.एफ. की राशि या सीयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।
- ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।
- v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।
- vi. सभी खदानें अपनी सीज क्षेत्र में संचालित हैं। सीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2012-13 में 5,750 टन, वर्ष 2013-14 में 4,550 टन एवं वर्ष 2014-15 में 4,900 टन है। वर्तमान में वर्ष 2012-13 में 5,850 टन, वर्ष 2013-14 में 3,400 टन एवं वर्ष 2014-15 में 6,550 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. प्रारम्भ वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवाहक व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विनिर्दिष्ट विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संभारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सैन्ट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी से प्राप्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेष्टीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नैचुरल एण्ड कम्युनिटी आंगूमेंटेशन प्लान, इन्वीयरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वीयरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संकथ में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स हर हर महादेव कन्सट्रक्शन (प्रो.- श्री भूपेन्द्र सिंह विश्वकर्मा), ग्राम-भाकड़ी सिगराय, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 911ए)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 38080/ 2019, दिनांक 27/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियाँ होने से आपन दिनांक 16/07/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण फल्टर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भाकड़ी सिगराय, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर स्थित प्लॉट जीक खसरा क्रमांक 129, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-17,160 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अखतान) प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विम्वे जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार खाने निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णक के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धूपेन्द्र सिंह शिष्यकर्मा, प्रोपरराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन से संबंध में ग्राम पंचायत भाकड़ी खुला का दिनांक 07/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खाने अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 199/खनि.सि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 07/06/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 096वीं/खनिज/ई-निविदा 8926/2018 कांकेर, दिनांक 30/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 2.7 हेक्टेयर, 258 मीटर की दूरी पर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 511/खनिज/ई-निविदा 8926/2019 कांकेर, दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 765/खनिज/ई-निविदा/टंडर नंबर 8926/2018 कांकेर, दिनांक 28/02/2019 द्वारा जारी की गई।

6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग का अनामतित प्रमाण पत्र (अवज्ञान) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घाट-भाकडी सिमराय 0.3 कि.मी. एवं स्कूल घाट-भाकडी सिमराय 0.3 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। विनार नदी 1.2 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरसंजीव सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इण्डियाली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 9,36,000 टन, गार्डनेबल रिजर्व 8,14,109 टन एवं रिकलरेबल रिजर्व 5,95,686 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.593 हेक्टेयर) सुरक्षा क्षेत्र घोषित जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकनाइज्ड ब्रिडि से उत्खनन किया जाएगा। ऊपर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिटटी की मात्रा 5.421 घनमीटर एवं मोटाई 0.3 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हॉगर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिंग किया जाएगा। खदान की स्थापित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आगतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,800	1.5	2,700	6,809
द्वितीय	2,300	1.5	3,450	8,701
तृतीय	1,700	1.5	4,200	10,591
	1,100	1.5		
चतुर्थ	3,200	1.5	4,800	12,106
पंचम	3,500	1.5	5,250	13,241

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आगतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवे	3,800	1.5	5,700	14,375
सातवे	965	1.5	6,098	15,378
	3,100	1.5		
अठारवे	4,400	1.5	6,600	16,645
नीचे	4,400	1.5	6,600	16,645
दसवे	4,400	1.5	6,600	16,645

11. अप्रत्याशित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. सीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल वेब, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कांसेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राय कांकेर के द्वारा 096वीं/खनिज/ई-निविदा 8926/2018 कांकेर, दिनांक 30/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 2.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-माकड़ी सिंगराय) का रकबा 3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-माकड़ी सिंगराय) को मिलाकर कुल रकबा 5.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण की1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—
 - i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
 - ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - iii. Project Proponent shall submit NOC from Forest Department.
 - iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

- v. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- vi. Project Proponent shall submit NOC from CGWA for ground water usage.
- vii. Project Proponent shall submit Restoration Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.), दिल्ली/गड को तदानुसार सुचित किया जाए।

6. मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्रीमती रत्ना घाण्डे), ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (राधिकालय का नस्ती क्रमांक 710)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 25439 / 2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48477 / 2018, दिनांक 15/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2018 के पूर्व से संचालित कुना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 324/1, 324/2, 324/3 एवं 326/2, कुल लीज क्षेत्र 1.3 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2018 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकल्प उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैं-

1. ग्राम पंचायत पधरिया द्वारा दिनांक 05/04/1996 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. गौडिकिकेशन ऑफ़ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोसेसिंग माइनिंग क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी, मास्तीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/चूप/खसरा-679/2018/रायपुर दिनांक 11/08/2018 (प्रती 2018-17 से 2018-19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 910/खनिज/2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 24/06/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 15 खदानें एकत्र 75.20 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।



निकटतम आवादी ग्राम-नदनी-खुदनी 0.37 कि.मी., शहर धमधा 5.9 कि.मी. स्थूल ग्राम-नदनी-खुदनी लगभग 0.37 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-नदनी-खुदनी लगभग 0.39 कि.मी. एवं निकटतम रेलवे स्टेशन मिलाई पीपर हीउरा लगभग 22.8 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1029 कि.मी. दूर है। शिखनाथ नदी 0.48 कि.मी. दूर है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्स्यूटेड

क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या धोखित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।

6. लीज कीड भीमती रत्ना फार्म के नाम पर है। लीज कीड 20 वर्षों अवधि 29/07/2002 से 28/07/2022 तक की अवधि हेतु है।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ड्राफ्ट क्रमांक 1283/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिज क्षेत्र की अवधि बढ़ाने हेतु पुराने अनुयाय पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
8. जियोमॉर्फिकल रिजर्व 3,60,000 टन एवं माइनेबल रिजर्व 1,51,250 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टर) क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट रोमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू-भाग के 9,000 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 10 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी की गांज 1,350 वर्गमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 8 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट स्रंशान 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं धरतू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994-2004	निरंक
2004-2005	1,200
2005-2006	3,260
2006-2007	13,800
2007-2008	17,850
2008-2009	15,100
2009-2010	1,900
2010-2011	5,155
2011-2012	5,390
2012-2013	9,100
2013-2014	4,830
2014-2015	1,310
2015-2016	900
2016-2017	2640
2017-2018	250
2018-2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2017-18	9,000
2018-19	9,000
कुल	20,210

10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण — पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.अ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीयरमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित कंपनी 1(ए) का स्टेपडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उत्खनन वगैरह होने के कारण एसईआईएए, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी —** मॉनिटरिंग कार्ड अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के माध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सातही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम₁₀ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम_{2.5} 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर एरबी₁₀ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्तरों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.9 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अंत आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरोक्त आयोजित बैठक में पूर्व-से चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटू इन्फ्रास्ट्रक्चर केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 में 250 टन उत्खनन किया गया है।
2. जीक क्षेत्र के घाटी ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का अंकलन तथा ध्वनि प्रतिक्रमण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विद्यालयीन क्लस्टर के संचालन उपरोक्त क्लस्टर के परिवेष्टीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों को अनुसार परिवेष्टीय वायु में पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-5) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-6) में परिवेष्टीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय

लोगों द्वारा अव्यवस्थित एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.पी.एम. मरम्मत एवं जल पिंडकृत्य कर नॉनितरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त नॉनितरिंग की गई, जिसके अनुसार नॉनितरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.₁₀ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा को नियंत्रित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी निवारण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government School Village-Sahgaon	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.15
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्वयं शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने राम-मंडेसरा तहसील-घग्घा, जिला-दुमने रायन हुई। लोक सुनवाई इलाहाबाद सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- इस क्षेत्र की ज्वलत समस्या अहिंसा से पीवर हीउरा रोड जहाँ पर गिरती खदानों की बड़ी-बड़ी माडिया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का सी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संचालन करवाया जाये। सी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
- क्लारिफिक एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर क्लारिफिक होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्वार जो

मातृ-शौचा-उत्सर्ग-साधन-का-निर्माण-लागू-होगा।-उसकी-सहाय-निगरानी-साधन-द्वारा-किया-जाए।-कचरा-को-पुर्णतः-कचड़ा-होकर-जल-छिड़काव-की-व्यवस्था-होनी-चाहिए।-खदानों-से-निकलने-वाली-पानी-को-भूमि-में-फसलों-की-सिंचाई-हेतु-प्रदान-किया-जाए।

- iii. प्राथमिकता-के-आधार-पर-संबंधित-ग्रामों-के-लोगों-को-ही-रोजगार-दिया-जाना-चाहिए।
- iv. खदान-में-वायु-एवं-जल-प्रदूषण-का-नियंत्रण-होना-चाहिए।-पर्यावरण-के-निर्धारित-मापदण्डों-के-अनुसंध-खदानों-का-संचालन-होना-चाहिए।
- v. खदानों-में-कोई-भी-दूषाशोधन-नहीं-किया-गया-है।-लगभग-300-फीट-से-भी-गहरी-खदानें-हैं,-जिससे-पानी-टहरता-नहीं-है।-जिससे-कृषि-भूमि-प्रभावित-हो-रही-है।-ग्रामों-में-कोई-विकास-कार्य-नहीं-हुआ-है।-पर्यावरण-हेतु-दूषाशोधन-नहीं-किया-गया-है।-ब्यारिस्टिंग-से-बहुत-आवाज-आती-है।-अवैधानिक-रूप-से-उत्खनन-भी-किया-जा-रहा-है।
- vi. मिट्टी-के-परिवहन-हेतु-बड़ी-बड़ी-वाहनें-चलती-हैं,-उससे-बहुत-दुर्घटना-होती-है।-इनकी-गति-में-रोक-लागई-जाए।-रोड-का-भी-संभारण-किया-जाना-चाहिए।

लोक-सुनवाई-के-दौरान-उठाये-गये-विभिन्न-मुद्दों-के-निराकरण-की-दिशा-में-परियोजना-प्रस्तावक-की-ओर-से-उपस्थित-प्रतिनिधि/कंसल्टेंट-का-कथन-निम्नानुसार-है:-

- i. डी.एम.एफ. की-राशि-या-सॉफ्टवी-की-राशि-से-जिला-प्रशासन-के-माध्यम-से-विकास-का-कार्य-किया-जाएगा।
- ii. प्रदूषण-नियंत्रण-हेतु-जल-छिड़काव-एवं-दूषाशोधन-की-व्यवस्था-की-जाएगी।
- iii. शिक्षित-बेरोजगारों-के-योग्यता-के-आधार-पर-स्थानीय-लोगों-को-आवश्यकतानुसार-रोजगार-हेतु-प्राथमिकता-दी-जायेगी।-पूर्व-से-ही-खदानों-में-कार्यरत-व्यक्तियों-को-भी-रोजगार-प्रदान-किया-जाएगा।
- iv. जल-स्तर-30-मीटर-नीचे-है।-खदान-से-उत्खनन-की-अधिकतम-गहराई-30-मीटर-से-कम-रखी-जाएगी।
- v. जो-खदानें-बंद-पड़ी-हैं,-उनमें-वर्षा-का-पानी-भण्डारित-है।-उनमें-जल-का-संरक्षण-किया-जाएगा।-वर्षा-का-पानी-जिला-प्रशासन-की-अनुमति-से-नियमानुसार/आवश्यकतानुसार-कृषकों-को-भी-दिया-जाएगा।
- vi. सभी-खदानें-अपनी-लीज-क्षेत्र-में-संचालित-हैं।-लीज-क्षेत्र-से-बाहर-उत्खनन-नहीं-किया-जा-रहा-है।

समिति-द्वारा-विचार-विमर्श-उपरांत-सर्वसम्मति-से-निम्नानुसार-निर्णय-लिया-गया:-


1. पूर्व-में-समिति-की-268वीं-बैठक-दिनांक-25/10/2018-को-प्रस्तुतीकरण-के-दौरान-यह-बताया-गया-था-कि-उत्खनन-कार्य-अप्रैल, 2017-से-बंद-है।-वर्तमान-में-वर्ष-2017-18-में-250-टन-उत्खनन-किया-जाना-बताया-गया-है।-इस-संबंध-में-सिध्ति-स्मृत-की-जाए।
2. घाउण्ड-मीटर-टेबल-में-जल-की-गहराई-के-मापन-के-संबंध-में-प्रमाणिक-जानकारी-प्रस्तुत-की-जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवाह व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु बीएमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (जैसे क्लस्टर के सड़कों/एग्रोप रोड का पक्कीकरण एवं संभारण, परिष्कृत की दौरान सड़कों/एग्रोप रोड से उत्पन्न धूल उत्सार्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एग्रोप रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। नू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल वाटरवर्क यॉटर अथॉरिटी से प्राप्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमिडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट असैसमेंट रिपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

7. मेजर नन्द कुमार कुम्भकार (नंदनी-खुदनी लाईन स्टीन माईन), ग्राम-नंदनी-खुदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 7351)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28528 / 2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48289 / 2018, दिनांक 11/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

 **प्रस्ताव का विवरण** - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित बुना फाथर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-नंदनी-खुदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खदान क्रमांक 416, 417, 418, 423, 436 एवं 437, कुल लीज क्षेत्र 2.96 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 40,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने की कारण यह प्रकल्प उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकल्प में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकल्प के लिये निम्नानुसार है-

1. ग्राम पंचायत नदनी-खुदनी द्वारा दिनांक 24/05/2008 को जारी अन्यायित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रबीम ओफ माइनिंग प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के आपन क्रमांक डीआरजी/एलएसडी/एमपीएलएन-554/नागपुर, दिनांक 05/09/2013 (वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाद्या), जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक 595/खनि.सि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानों काका 66.01 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम-सहगाव 920 मीटर, गहर दुर्ग 28 कि.मी. स्कूल ग्राम-सहगाव 950 मीटर प्राथमरी मेडिकल 950 मीटर एवं रेलवे स्टेशन दुर्ग 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 157 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1.1 कि.मी. की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रेडिकली पीएल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैकिकृत क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु श्री छत्तर सिंह ठाकुर के नाम पर लीज डीड दिनांक 04/03/1998 को जारी किया गया था। लीज श्री नन्द कुमार कुम्हार के नाम पर दिनांक 26/12/2006 को हस्तांतरित हुई। लीज डीड 20 वर्षों के लिए दिनांक 04/03/1998 से 03/03/2018 तक की अवधि हेतु थी। तदुपरांत दिनांक 03/03/2048 तक लीज वृद्धि की गई है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 988,230 टन एवं माइनेबल रिजर्व 4,04,796 टन है। लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर (0.75 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। आपन कारस्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 2 हेक्टेयर नू-भाग में उत्खनन किया गया है। वर्तमान में 20-26 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अंतिम गहराई 28 मीटर होगी। ऊपर मिट्टी की मोटाई 2.0 मीटर है। वर्तमान में बेंच की चौड़ाई 3 से 10 मीटर है। बेंच की अंतिम चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर एवं 06 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जैक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्यस्टिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 7 किलोलीटर प्रतिदिन (हस्त संप्रेषण 2 किलोलीटर प्रतिदिन, डीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्रोत नू-जल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
1994-1997	निरा
1998-1999	290
1999-2000	130

2000-2001	66
2001-2002	200
2002-2003	2,700
2003-2004	90
2004-2005	80
2005-2006	81
2006-2007	215
2007-2008	8,095
2008-2009	15,650
2009-2010	11,750
2010-2011	14,415
2011-2012	21,460
2012-2013	21,500
2013-2014	21,500
2014-2015	20,590
2015-2016	26,200
2016-2017	32,400
2017-2018	निरक
2018-2019	निरक

**उत्खनन की वर्षवार योजना
(स्कीम अंतर्गत माइनिंग प्लान अनुसार)**

वर्ष	उत्खनन (टन)
2013-14	16,350
	13,275
2014-15	11,850
	16,500
2015-16	35,250
2016-17	34,500
2017-18	40,000
कुल	1,67,725

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का अ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फोर्मेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फोर्मेसमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकथित सीपी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक-गुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उत्खनन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,

1988 के प्राणधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिश्ति पाई गई—

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्ड अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के माध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर साही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 24.8 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पी.एम._{2.5} 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में फुई में जारी गई वाचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस माध्यम दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाग के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्हार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरोक्त आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिया जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार ध्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रापण दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्हार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिट्टु इन्व्हायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय राघु उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में 21,500 टन उत्खनन किया गया है।
2. सीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र के कुल 571 वर्गमीटर क्षेत्र में पूर्व से ही उत्खनन कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस 571 वर्गमीटर क्षेत्र को भरकर उसमें रोपण कार्य किया जाएगा।
3. क्लस्टर हेतु क्वीन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विद्यमान क्लस्टर के संवाहन उपरोक्त क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का दृश्युपीएम, मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.₁₀ 82.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा को

निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी मिग्रेशन उपाय (Mitigation measure) एवं पर्याप्त मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सड़क वृक्षारोपण से परिसंश्लेषित वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समस्त विस्तार से यहाँ उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nandini Khundini	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.15
Total			Rs. 0.80	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय सचिव मुख्य की दुकान के सामने ग्राम-मंडेसरा तहसील-बम्बरा, जिला-दुम में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर को पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
8. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिंसा से पीड़ित हीउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़क अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध शक्ति से संभारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
 - क्वैरिंटिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर क्वैरिंटिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्वैर जो चादू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्वैर को पूर्णतः क्वैर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को भुगत में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

- iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित शान्ति के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
- iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।
- v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी टहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। शान्ति में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। डस्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।
- vi. मिट्टी के परिचलन हेतु बड़ी-बड़ी वाहने चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागूई जाए। रोड का भी संभारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. डी.एम.एफ. की शक्ति या सीबिल्टी की शक्ति से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।
- ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।
- v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी गण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।
- vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2012-13 में 16,800 टन है। वर्तमान में वर्ष 2012-13 में 21,500 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।



सारण्ड वीटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवाह व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्य (जिसा क्लस्टर के सदस्यों/एग्रीड रोड का

पक्कीकरण एवं साधारण परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करे।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्वीत स्पष्ट किया जाए। सू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल सावण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनारपीत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. उत्सर्जन अधि में उत्सर्जन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असैसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्सर्जन अधि में उत्सर्जन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, कुत्तों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
9. लीज क्षेत्र की सीमा में स्थित 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी में पूर्व से उत्खनित 571 वर्गमीटर क्षेत्र को पुनःकरण एवं रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

8. मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड(03), ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (सचिवालय का नसती क्रमांक 1110)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135709/ 2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पाथर (नीच खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1026/2, 1026/5, 1026/6 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल - 0.555 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्सर्जन क्षमता - 25,035.92 टन प्रतिवर्ष है। यह प्रकारण राजस्व क्षेत्र में एक अस्थाई खानन अनुमति का है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अविरोधित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरागत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., इल्लैरागढ़ के द्वारा दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक चतुर्वेदी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत, बटुवाबहार का दिनांक 21/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — टी.पी. क्वारी प्लान इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2175/खनिज/खलि.3/उत्खनन पी./2019 दिनांक 29/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 349/खनि.शा./2019 जसपुर दिनांक 10/12/2019 के अनुसार अधेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.632 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 326/ खनि.शा./2019 जसपुर, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, झील, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक/284/खनि.शा./2019 जसपुर दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।
6. भूमि श्रीमति अनंदा बाई, श्री लोदोराम, श्री माझीराम, श्रीमति नवीरो बाई, श्री कुधनी बाई एवं श्री सुधाक के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. कार्यालय वनमापदलाधिकारी, जयपुर वनमण्डल, जिला-जयपुर के ज्ञापन क्रमांक /भा.वि./2019/5164 जयपुर दिनांक 09/10/2019 को जारी अनामत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय ग्राम-बदुराबहार 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम-बदुराबहार 1 कि.मी. एवं अस्पताल फथलगांव 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. दूर है। सुरही नदी 1.25 कि.मी., नाला 1.95 कि.मी. एवं तालाब 0.315 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना घोषित किया है।
11. जिओलॉजिकल रिजर्व लगभग 72,150 टन, माईनेबल रिजर्व 29,910 टन एवं सिंक्रेबल रिजर्व 28,414 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.216 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,701 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। ओवरबॉर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 2 वर्ष है। कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	25,036
द्वितीय	3,379

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डअफ़ किया गया है।

12. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.32 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकर द्वारा की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
13. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 429 नग पीछे एवं खदान के गैर उत्खनन क्षेत्र में अतिरिक्त 177 नग पीछे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
 - i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
 - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है।
15. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सेच. नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलीकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के राक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 19.9	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Naveen Primary School Village-Chandragarh	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.68
			Plantation	Rs. 0.10
			Book distribution for Environment Awareness Programme	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.88

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्मालय कन्वेक्टर (खनिज खान्दा), जिला-जरापुर के आपन क्रमांक 349/ खनि. रा. /2019 जरापुर, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.632 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बटुराबहार) का रकबा 0.555 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बटुराबहार) को मिलाकर कुल रकबा 4.187 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से ग्राम-बटुराबहार, तहसील-फखलगांव, जिला-जरापुर स्थित खसरा क्रमांक 1026/2, 1026/5, 1026/6 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल - 0.555 हेक्टेयर साधारण फखर खदान (मौज खनिज) उत्खनन क्रमांक- 25,035 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेरास किस्टीन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड माईन-1 (प्रो.- श्री बंकटेश्वर राव), ग्राम-मुरदण्डा, तहसील-ऊसूर, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1115)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 135939 / 2020, दिनांक 09 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पाथर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुरदण्डा, तहसील-ऊसूर, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 56,992.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि खदान ओ पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियमित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही बुझावरीपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट District Survey Report की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 02 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27 / 02 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोहित कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुरदण्डा का दिनांक 14 / 06 / 2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण वस्तर दीवाड़ा द्वारा अनुमोदित है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक 163/कले./खनिज/2020 बीजापुर, दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, कुल क्षेत्रफल 2,708 हेक्टेयर है। इसके अलावा खसरा क्रमांक 324 में मेसर्स फिस्टोन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड साईन-2 क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का एल.ओ.आई. जारी किया गया है, जिसके पर्यावरणीय स्वीकृति का आवेदन विचारधीन है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक 66/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जका खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक/1131/कले./खनिज/2018 बीजापुर, दिनांक 20/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।
6. कार्यालय वनपरिक्षेत्र, आवापल्ली परिक्षेत्र, आवापल्ली(रा.) बीजापुर वनमण्डल, जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक /एटी/1005 आवापल्ली, दिनांक 29/12/2018 द्वारा वनमण्डलधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला-बीजापुर को प्रेषित पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अनुसार यह सरकारी भूमि है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-आवापल्ली 1 कि.मी. स्कूल ग्राम-आवापल्ली 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-आवापल्ली 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 02 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।



जियोलाजिकल रिजर्व लगभग 1,74,412 टन एवं साईनेबल रिजर्व 1,09,838 टन लौह क्षेत्र के तारी और 7.5 मीटर (0.277 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट शेपी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। कपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। ओवरबर्डन को साईन वाउण्ट्री में उभर किया जाएगा। बेच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जीक हेमर से

द्विगुण एवं कटौत स्थापित किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	2,939	1.5	4,408	51,424
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	7,224	1.5	10,836	
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	3,550	1.5	5,325	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	3,182	1.5	4,773	56,993
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	6,241	1.5	9,361	
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	5,775	1.5	8,662	

नोट: तालिका में दर्शाने के बाद के अंकों का सतुल्यार्थक किया गया है।

12. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल के उपयोग के लिए सी.जी. डब्ल्यू.ए. में आवेदन किया जाना बताया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
13. लीक क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,000 नंग पीधे लगाया जाना प्रस्तावित है।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
 - a. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
 - b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है।
15. माननीय एन.जी.टी. प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विलुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मति विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs 20	2%	Rs 0.40	Following activities	at Nearby

		Government Primary School Village-Awapafi
	Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
	Plantation work	Rs. 0.10
	Total	Rs. 0.60

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यदार स्वयं का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर को दायन क्रमांक 163/कले./खनिज/2020 बीजापुर दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से भीतर अवस्थित 1 खदान, कुल क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मुरदण्डा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुरदण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.708 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-मुरदण्डा, तहसील-उसूर, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (ग्रीन खनिज) उत्खनन क्षमता- 56.992 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निवारण प्रतिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), भारतीयगड को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स किरस्टोन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड माईन-2 (प्रो.- श्री बेंकटेश्वर राव), ग्राम-मुरदण्डा, तहसील-उसूर, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1118)

ऑनलाईन आवेदन - प्रॉजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136088/2020, दिनांक 09/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुरदण्डा, तहसील-उसूर, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 53.196.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020-

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही

की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही यूझरोपम की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक पूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोहित कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संक्य में ग्राम पंचायत मुरदपड़ा का दिनांक 14/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — कांठी परतन प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतवाड़ा द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक 183/कले./खनिज/2020 बीजापुर दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, कुल क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है। इसके आलावा खसरा क्रमांक 324 में मेरासा किस्टोन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड माईन-1 क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का एल.ओ.आई. जारी किया गया है, जिसके पर्यावरणीय स्वीकृति का आवेदन विचारधीन है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक क्रमांक 67/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, फाव, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक/1139/कले./खनिज/2018 बीजापुर, दिनांक

20/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु है।

6. कार्यालय वनपरिक्षेत्र, आवापल्ली परिक्षेत्र, आवापल्ली(रसा), बीजापुर वनमण्डल, जिला-बीजापुर को ज्ञापन क्रमांक /ए.टी./1005 आवापल्ली, दिनांक 29/12/2018 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला-बीजापुर को प्रेषित पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अनुसार यह शासकीय भूमि है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-आवापल्ली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-आवापल्ली 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-आवापल्ली 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.1 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,78,260 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,02,070 टन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.501 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कार्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। ओवरबर्डन को माईन वाचनाई में अग्न किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 2 वर्ष है। लोक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्कारिफिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का प्रियरन निम्नानुसार है-

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	9,252	1.5	10,504	53,196
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	4,919	1.5	7,378	
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	2,264	1.5	3,396	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	2,373	1.5	3,559	
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	4,208	1.5	6,312	
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	4,098	1.5	6,147	

नोट: तालिका में वनमण्डल के बाहर के अंकों का सार्वजनिक किया गया है।

12. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल के उपयोग के लिए सी.पी.

इस्युए में आवेदन किया जाना बताया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के बाहों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,000 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है।

15. माननीय एन.जी.टी. प्रॉसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.30	Following activities at Nearby Government Primary School	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यदाय खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के आपन क्रमांक 163/कले. / खनिज / 2020 बीजापुर, दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, कुल क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-मुरदण्डा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-मुरदण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.708 हेक्टेयर है। खदान की

सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की गनी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से ग्राम-मुरदण्डा, तहसील-जसूर, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गोण खनिज) उत्खनन क्षमता- 53,196 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

संघ्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्वहण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री विजय कुमार गुप्ता (स्टोन माईन ऑफ मैकिंग विट्टी), ग्राम-बोकी, तहसील-जसूर नगर, जिला-जसूर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1121) ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीटी /एमआईएन / 136125/2020, दिनांक 10/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित साधारण पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बोकी, तहसील-जसूर नगर, जिला-जसूर स्थित खसरा क्रमांक 1 एच 102, कुल क्षेत्रफल - 3.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,09,200 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा स्तरागत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. दिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणीत करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईए.सी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रोपसाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 10/01/1997 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – रियाइंग्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र), जिला-सरगुजा के आपन क्रमांक 1402-03/खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के आपन क्रमांक 396/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 07/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के आपन क्रमांक 395/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, झील, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **सीज का विवरण** – सीज डीज की विजय कुमार गुप्ता के नाम पर है। सीज डीज 10 वर्षों अवधि 05/03/1997 से 04/03/2007 तक की अवधि हेतु थी। सीज डीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 09/04/2007 से 08/04/2012 तक एवं द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 09/04/2012 से 08/04/2017 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् सीज डीज दिनांक 09/04/2017 से 04/03/2027 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासीय घाम-बोली 0.65 कि.मी., शहर जशपुर नगर 10 कि.मी., स्कूल घाम-बोली 1 कि.मी. एवं अस्पताल 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राजमार्ग 9.7 कि.मी. दूर है। निरमा नदी 0.92 कि.मी. दूर है।
8. **पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
9. **जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,76,784 टन एवं गार्डनेबल रिजर्व 3,27,600 टन** है। सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.672 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। आपन कास्ट सेमी गैरकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 1.5 मीटर एवं प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। भू-भाग के 9724 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। अवसर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.1 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। डिजिटिंग एवं कंट्रोल प्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	1,09,200
द्वितीय	1,09,200

तृतीय	1,09,200
-------	----------

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 15 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिड़काव किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 300 नम पीपे लगाया जाना प्रस्तावित है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 1 एवं 102 क्षेत्रफल 3.76 हेक्टेयर, क्षमता-15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जशपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 द्वारा जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ड्राफ्ट क्रमांक 491/खनिशा/2020 जशपुर दिनांक 25/02/2020 के अनुसार जनवरी, 1998 से फरवरी, 2018 तक 14,586 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

13. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल वेव, नई दिल्ली द्वारा सत्येद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एडिलेकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Coror)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 1.08	2%	Rs. 2.16	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Boki	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.70
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.22



		Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
		Plantation	Rs. 1.04
		Total	Rs. 2.16

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि यह प्रकरण अनगढ़ विस्तार का है। वर्तमान में उत्खनन क्षमता में वृद्धि कर 15,000 टन प्रतिवर्ष से 1,09,200 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

16. समिति की संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र लगभग 40 से 50 प्रतिशत वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है। परियोजना प्रस्तावक अनुसार उन क्षेत्रों में उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा। माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार रिजर्व की गणना उपयुक्त नहीं है। अतः लीज क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर माईनेबल रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. लीज क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर माईनेबल रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र लिखा जाए।

12. मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.— श्री नरेश लाल तलरेजा), ग्राम—चवेली, तहसील व जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 964)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42456 / 2019, दिनांक 30 / 09 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कठिमाई होने से आपन दिनांक 14 / 10 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठ जानकारी दिनांक 11 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संयोजित चूना पत्थर (मीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—चवेली, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल – 0.607 हेक्टेयर में है। खदान की आगेदिता उत्खनन क्षमता—3,822.81 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020

समिति द्वारा प्रकाशन की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिकि मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तुत कंत कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. परिवोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरधारी लाल तलरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिधति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छपरीखुर्द का दिनांक 09/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला-रायपुर के डायन क्रमांक क/खलि/लीन-6/2016/1573 रायपुर दिनांक 27/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 2519/खलि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार अवैधित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 2519/खलि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकत खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. लीज का विवरण - लीज डीड श्री नरेश लाल तलरेजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् 16/03/1999 से 15/03/2009 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 16/03/2009 से 15/03/2014 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 16/03/2014 से 15/03/2029 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक/मा.वि./न.क्र.10-1/2020/1283 राजनांदगांव, दिनांक

05/02/2020 को जारी अन्वयित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. दूर है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-डेलकाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-डेलकाडीह 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। तालाब 0.8 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जीवविकिरण संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इण्डिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविकिरण क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
10. **जिसोलाजिकल रिजर्व 91,050 टन, माइनेबल रिजर्व 36,728 टन रिकवरेबल रिजर्व 33,055 टन** है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.25 इंचटॉपर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी-मेकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टासिटम किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	340	6	989	2,473
द्वितीय वर्ष	340	6	1,529	3,823
तृतीय वर्ष	340	6	1,529	3,823
चतुर्थ वर्ष	340	6	1,529	3,823
पंचम वर्ष	340	6	1,529	3,823

नोट: तालिका में दलमूल्य की बाट के अंकों का सतुण्डशील किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाएगा।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 450 नम पीछे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 300 नम वृक्षारोपण किया गया है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि:-
 - a. बायें तरफ में 7.5 मीटर क्षेत्र पूर्व से उत्खनित है। अतः उक्त क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव नहीं है।
 - b. लीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि आवेदक के नाम पर है, जिस पर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र के दोगुने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में श्री नरेश लाल राजदेजा के नाम से बुना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान खसरा क्रमांक 487, क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर, क्षमता-3,822.81 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्हालात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के मातम में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 317/खलि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार विगत वर्ष का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन में)
जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009	238
जनवरी 2010 से जून 2010	7,900
जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010	5,400
जनवरी 2011 से जून 2011	6,900
जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011	निरक
जनवरी 2012 से जून 2012	950
जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012	200
जनवरी 2013 से जून 2013	7,300
जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	8,700
जनवरी 2014 से जून 2014	4,000
जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014	निरक
जनवरी 2017 से जून 2017	1,000
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017	850
जनवरी 2018 से जून 2018	2,400
जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	1,350
जनवरी 2019 से जून 2019	1,190
जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019	300

15. माननीय एन.जी.टी., प्रॉसिपल बेस, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विस्फुट भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय फलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 2519/खलि.02/2019 राजनांदगांव दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानों कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धवेली) का रकबा 0.607 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धवेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.167 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड्स एन्ड ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायर्समेंट क्लेयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल गार्निंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी विन्यं जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project Proponent shall submit the revised calculation of the mined out area of 7.5 meter safety zone and submit the proposal for plantation within an area, which is twice of the area mined out area of 7.5 meter safety zone.
- ii. Project Proponent shall submit an action plan for complete plantation within one year.
- iii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatbisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- v. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को उपरानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स धवेली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रमेश लाल तलरजा), ग्राम-धवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 963ए)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42466/2019 दिनांक 29/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से डायन दिनांक 11/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना फांशर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल - 0.709 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 7.17991 टन प्रतिवर्ष है।

शैतकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को जानामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यायन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिल्हारी लाल तलरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खपरीखुर्द का दिनांक 11/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम संचालक (ख.प्र.) जिला-रायपुर के आपन क्रमांक क/खलि./तीन-6/2016/1567 रायपुर, दिनांक 27/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2520/खलि 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आयोजित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2520/खलि 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुम, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. लीज का विवरण - लीज डीक श्री स्मेश लाल तलरेजा के नाम पर है। लीज डीक 10 वर्षों अवधि दिनांक 06/12/2003 से 05/12/2013 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीक दिनांक 06/12/2003 से 05/12/2033 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **महत्वपूर्ण सरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-टेलकाडीह 12 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-टेलकाडीह 12 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 071 कि.मी. दूर है। तालाब 0.7 कि.मी. दूर है।
8. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिभेदित किया है।
9. **जियोलाजिकल रिजर्व 1,06,350 टन, माइनेबल रिजर्व 60,821 टन एवं रिफ़ाइनबल रिजर्व 54,739 टन है।** लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.22 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। आपन कास्ट सेमी मेकनराइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्षवार उत्पादन	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	6	1,792	4,480
द्वितीय वर्ष	6	2,872	7,180
तृतीय वर्ष	6	2,872	7,180
चतुर्थ वर्ष	6	2,872	7,180
पंचम वर्ष	6	2,872	7,180

आगामी वर्षों की उत्खनन योजना

वर्षवार उत्पादन	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे वर्ष	6	2,872	7,180
सप्तमे वर्ष	6	2,872	7,180
आठवे वर्ष	6	2,872	7,180

नोट: तालिका में वार्षिकत्व के बाद के अंकों का सारण्डशीफ किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति दायूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 500 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
- पूर्व में श्री रमेश लाल तलवेता के नाम से जूना पर्यार (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 487, क्षेत्रफल 0.709 हेक्टेयर, क्षमता-7179.91 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 के

द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

- क. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ख. कार्यालय कलेक्टर (स्वनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वापन क्रमांक 316/स्व.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन में)
जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003	निराक
जनवरी 2004 से जून 2004	निराक
जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004	420
जनवरी 2005 से जून 2005	301
जुलाई 2005 से दिसम्बर 2005	निराक
जनवरी 2006 से जून 2006	322
जुलाई 2006 से दिसम्बर 2006	निराक
जनवरी 2007 से जून 2007	1,045
जुलाई 2007 से दिसम्बर 2007	निराक
जनवरी 2008 से जून 2008	290
जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008	निराक
जनवरी 2009 से जून 2009	190
जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009	निराक
जनवरी 2010 से जून 2010	145
जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010	80
जनवरी 2011 से जून 2011	135
जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011	निराक
जनवरी 2012 से जून 2012	100
जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012	निराक
जनवरी 2013 से जून 2013	150
जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	100
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016	निराक
जनवरी 2017 से जून 2017	300
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017	455
जनवरी 2018 से जून 2018	355
जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	400
जनवरी 2019 से जून 2019	425
जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019	200

13. राष्ट्रीय एन.जी.टी. ऑरिफ़ल वेग, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिफ़ल एपिलोशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- अ) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2520/ख.लि. 02/2019, राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 7.56 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-बवेली) का रकबा 0.709 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बवेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.27 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण "बी1" कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेपडाई टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट फ्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गीत श्रेणी 1(ए) का स्टेपडाई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नाम कील माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
 - i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
 - ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - iii. Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil.
 - iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
 - v. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स बवेली लाईम स्टोन माईनिंग (प्रो.- श्री गिरिश तलरेजा), घाम-बवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 965)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42409/2019, दिनांक 30/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित बूना पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान घाम-बवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 392(घाट),

393, 394 एवं 398(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 1.581 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा आवश्यक सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सद्वानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी मिलवाती ताल तलरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संकथ में ग्राम पंचायत खपरीसुर्द का दिनांक 07/11/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप सहायक (ख.प्र.), जिला-रायपुर के आपन क्रमांक 8775(2)/ख.लि./वीन-1/ख.सं.अनु./2018 रायपुर, दिनांक 22/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2521/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुल क्षेत्रफल 8.58 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2521/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. लीज का विवरण - पूर्व में लीज भी रमेश तलरेजा (0.404 हेक्टेयर) के नाम पर 30 वर्षों अवधि दिनांक 08/12/2003 से 05/12/2033 तक एवं भी निरीश तलरेजा (1.064 हेक्टेयर) के नाम पर 30 वर्षों अवधि दिनांक

06/10/2009 से 06/10/2039 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 650/खलि.02/2018 राजनांदगांव दिनांक 19/06/2018 द्वारा उक्त लीजों का समावेशन (amalgamation) भी निरीश तलरेजा के नाम पर किया गया है। सम्मिलित (amalgamated) लीज डीज की वेबसाइट दिनांक 06/12/2033 तक है।

6. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी घाम-ठेलकाडीह 2 कि.मी. एवं अस्पताल घाम-ठेलकाडीह 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.46 कि.मी. दूर है। तालाब 0.55 कि.मी. दूर है।
8. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिकी में आंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिकली पोस्ट्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
9. जिम्बोलीजिकल रिजर्व 5,92,875 टन, गार्डेनबल रिजर्व 2,98,753 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 2,21,603 टन है। लीज क्षेत्र के घाटे और 7.5 मीटर (0.46 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बंध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हेमर से ट्रिलिम एवं कंट्रोल प्लान्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आगतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	6,667	3	20,000	50,000
द्वितीय वर्ष	6,667	3	20,000	50,000
तृतीय वर्ष	5333	3	16,000	40,000
चतुर्थ वर्ष	4,000	3	12,000	30,000
पंचम वर्ष	4,000	3	12,000	30,000

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिड़काव किया जाएगा।
11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के घाटे और 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 700 नम पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 500 नम वृक्षारोपण किया गया है।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

1. पूर्व में श्री निरीश तलरेजा के नाम से खूना पत्थर (लीज खनिज) खदान खसरा क्रमांक 392(पाटी), 393, 394 एवं 398(पाटी), क्षेत्रफल 1.581 हेक्टेयर, क्षमता-50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक

14/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ड्राफ्ट क्रमांक 327/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
जुलाई 2003 से जून 2009	-
जुलाई 2009 से जून 2010	निरक
जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010	1,750
जनवरी 2011 से जून 2011	2,400
जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011	100
जनवरी 2012 से जून 2012	300
जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012	200
जनवरी 2013 से जून 2013	3,500
जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	1,500
जनवरी 2014 से जून 2014	14,000
जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014	2,000
जनवरी 2015 से दिसम्बर 2016	निरक
जनवरी 2017 से जून 2017	1,500
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017	2,100
जनवरी 2018 से जून 2018	2,050
जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	11,660
जनवरी 2019 से जून 2019	11,300
जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019	2,400

13. माननीय एन.जी.टी., बीसियाल बंध, नई दिल्ली द्वारा सार्वोच्च पाथवेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance



समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- 1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ड्राफ्ट क्रमांक 2521/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानों, कुल क्षेत्रफल 6.58

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-चवेली) का रकबा 1.581 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-चवेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.16 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी-1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए / ईएमपी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे जोर माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु विभिन्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the previous EC compliance report.
- iv. Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil.
- v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- vi. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) धरतीसंगठ को तथानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स किरगी सोईल ऑर्डिनरी कले क्वारी (प्रो.— श्री नरेश लाल तलरेजा), ग्राम-किरगी, तहसील-दोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 963बी)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42449/2019, दिनांक 29/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से ज्ञात दिनांक 11/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किरगी, तहसील-दोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल - 1.417 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) क्षमता-1528.21 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्र की जानकारों स्थानिक विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार स्थानिक निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिन्धारी लाल तल्लरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बन्हरडी का दिनांक 17/10/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प.), संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिज, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 7114/स्थान-02/ख.प./न.क्र.91/2015 तथा समपुर दिनांक 11/12/2015 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2517/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आयेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, कुल क्षेत्रफल 1.348 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2517/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार राजा खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. लीज का विवरण — लीज डीड श्री नरेगा लाल तल्लरेजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/10/2004 से 27/10/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 28/10/2014 से 27/10/2024 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।



डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-किरगी 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-किरगी 0.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15

किमी एवं राज्यमार्ग 25 कि.मी. दूर है। तिवनावा नदी 55 कि.मी. एवं नाला 50 मीटर दूर है।

8. **पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
9. **जियोटेक्निकल रिजर्व** लगभग 28340 घनमीटर एवं रिक्तहोबल रिजर्व 13,415 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.084 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपर से मिट्टी की गहराई 2 मीटर बताया गया है, जिसका उपयोग ईट निर्माण में किया जाता है। उत्खनन ओपन कार्ट मेनुअल विधि से किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खाई किनारी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत प्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की समाप्ति आयु 9 वर्ष है। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	कुल उत्पादन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
प्रथम वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
द्वितीय वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
तृतीय वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
चतुर्थ वर्ष	881	2	1,528	12,31,136
पंचम वर्ष	881	2	1,528	12,31,136

आगामी पांच वर्ष की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	कुल उत्पादन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
छठवें वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858
सातवें वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858
आठवें वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858
नौवें वर्ष	1,604	1	1,443	11,62,858

नोट: तालिका में वषारतल के बाद के वर्षों का राजपट्टाशिक किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर खुले क्षेत्र में 200 नग पीपे लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
1. पूर्व में श्री नरेक लाल तलरजा के नाम से मिट्टी (गोण खनिज) ईट निर्माण इकाई खदान खसरा क्रमांक 32, क्षेत्रफल 1,417 हेक्टेयर, क्षमता-1,528.21 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनादगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 के

द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

- 8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अंतर्गत में ली गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- 10. कार्यालय कलेक्टर (खनि मंत्रालय), जिला-राजनांदगांव को आवेदन क्रमांक 318/रा.सि. 05/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/03/2020 द्वारा विगत वर्षों के उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है?

13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से क्या उपरोक्त विनियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 13.5	2%	Rs. 0.27	Following activities at Nearby Government Primary School Village-King	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.20
			Plantation	Rs. 0.07
			Total	Rs. 0.27


समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।


- 14. वर्तमान में प्रस्तुत अनुसंधित माईनिंग प्लान से यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है तथा उत्खनन हेतु कितनी मात्रा शेष है?

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त संवैधानिक से विनियमानुसार निर्णय लिया गया-

1. विगत वर्षों में किए गए मिट्टी उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी एवं ईट उत्पादन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 2. वर्तमान में उत्खनित मात्रा के अंतर पर उत्खनन हेतु उपरोक्त मात्रा का अनुमान बनवा कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

रैलक सन्वैधानिक प्रणाली के साथ संतुलन-दुई।

(मोहकम)  सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़


(मोहन शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (03)

को खसरा क्रमांक 1026/2, 1026/5, 1026/6 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल - 0.555 हेक्टेयर, ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थनगांव, जिला-जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-25,035 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.555 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 25,035 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाप्रवाह का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी चिमनी / वेंट / धाईट रोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। आयर, स्कीन्, ट्रांसफर धाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणीय डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अभिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढग / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः सजाव हेतु अथवा बाहरी ओवरबैंक को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कीनकॉर्डली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसी पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबैंक एवं अनुपयोगी / बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार को भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढग की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लॉप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबैंक ढग का शरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबैंक एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रोक) को खनन के परिसर के मजदूरी में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा ढग क्षेत्र में सिटिंग वॉल / गार्डरेल ट्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकैनिकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अडिज नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए -

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 19.9	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Naveen Primary School Village-Chandragarh	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.68
			Plantation	Rs. 0.10

			Book distribution for Environment Awareness Programme	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.88

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तथा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड ओवरबर्टन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 429 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। आवंटित स्थल को गैर उत्खनन क्षेत्र में लगभग 177 नग अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्नीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एन.एन. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से स्टाइलिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्वस्थ व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
20. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असतुष्ट प्रभाव में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कंमिग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
24. श्रमिकों को लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

25. भूमि की वात समय-समय पर आवक्युपेक्षणल हेतु सविलेस कराना आवशुयक है।
26. उल्लखनन की लकनीका, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उल्लखनन योजना के अनुसुय सविक योजना जलसमें उल्लखनन, खनिल की साना एवं अडलषुड सडलललत है, में कलसी भी डुकार का डरलवतन एस.ई.आई.ए.ए. छलतीसडड / डर्यावरण, वन और जलवायु डरलवतन डंजललय, डरलत सरकर की डुन अनुडडतल के डलन नही कलया जाए।
27. इस डर्यावरणीय स्वीकृतल को डरारी करनल का आशय कलसी डुवलडगत अडवा अडय सडललत डर अडलकर डरलने का नही है एवं न ही यह डर्यावरणीय स्वीकृतल कलसी डलडी सडललत को डुकरलन डरुडडाने अथवा डुवलडगत अडलकरी के अतलकडण अडवा कलंड, सडय एवं स्थानीय कलडुन / डलडलडों के उल्लखनन हेतु अडलकृत करलत है।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छलतीसडड डर्यावरण संरक्षण की डुषलत से डरलडुडनन की लुडरखल में डरलवतन अडवा डलनलडलषुड शलती के संतुषडडरुड रूप से डललन न करनल की डरलत में कलसी भी शलती में संशुडलन / डलरलत करनल अडवा डरुई शलती डुडडने अडवा उल्लखनन / डलरलत के डलनकों को और संरलत करनल का अडलकर सुरकुषलत रखलत है।
29. डरलडुडनन डरलतलडक नुनसतड 2 स्थानीय सडलडर डरुडों में, जो कल डरलडुडनन क्षेत्र के आस-डरस डुवलडक रूप से डरलरलत हो, डर्यावरणीय स्वीकृतल डुरलत होने को 7 डलनो को डीतर इस आशय की संडडत डुरलरलत करेगा कल डरलडुडनन को डर्यावरणीय स्वीकृतल डुरलत हो डरुई है एवं डर्यावरणीय स्वीकृतल डरुड की डुरलडुड संकलडलय, छलतीसडड डर्यावरण संरक्षण डणडल में अडललकन हेतु उडलतलत है। सडय ही इसका अडललकन एस.ई.आई.ए.ए. छलतीसडड की डेडसलडुड www.seiaacg.org डर भी कलया जा सकलत है।
30. डर्यावरणीय स्वीकृतल में डी डरुई शलती के डललन हेतु की डरुई कलरुडवलडी की अडु डलडलक ललडुड छलतीसडड डर्यावरण संरक्षण डणडल, अडलत नडर, क्षेत्रीय कलरुडलय छलतीसडड डर्यावरण संरक्षण डणडल सडडड, एस.ई.आई.ए.ए. छलतीसडड एवं क्षेत्रीय कलरुडलय डर्यावरण, वन एवं जलवायु डरलवतन डंजललय, डरलत सरकर, नलडडुर को डुरलत कलया जाए।
31. क्षेत्रीय कलरुडलय डर्यावरण, वन एवं जलवायु डरलवतन डंजललय, डरलत सरकर, नलडडुर डुरलत डर्यावरणीय स्वीकृतल में डुरलत शलती के डललन की डुनललरलड की जाएडी। इस हेतु डरलडुडनन डुरलतलडक डुरलत सडड-सडड डरुड डुरलतुत कलए डए डरलतलडुडों एवं आडुडन का डुन सलड क्षेत्रीय कलरुडलय डर्यावरण, वन एवं जलवायु डरलवतन डंजललय, डरलत सरकर, नलडडुर को डुरलत कलया जाए।
32. एस.ई.आई.ए.ए. छलतीसडड, डर्यावरण, वन और जलवायु डरलवतन डंजललय, डरलत सरकर / क्षेत्रीय कलरुडलय, डर्यावरण, वन एवं जलवायु डरलवतन डंजललय, डरलत सरकर, नलडडुर / कलंडीय डुरडुडण डलरुडण डुडुई / छलतीसडड डर्यावरण संरक्षण डणडल के डेडलनलक / अडलकलरलडुडों को शलती के अनुडललन के संडड में की डलने डलली डुनललरलड हेतु डुन सडडुड डुरलन कलया जाए।
33. डरलडुडनन डुरलतलडक छलतीसडड डर्यावरण संरक्षण डणडल एवं सडय सरकर डुरलत डी डरुई शलती का अडलडलरुड रूप से डललन करेगा। डे शलती जल (डुरडुडण डलरुडण तथा डलरुडण) अडलनलडड, 1974 वलडु (डुरडुडण डलरुडण तथा डलरुडण) अडलनलडड, 1981, डर्यावरण (संरक्षण) अडलनलडड, 1986 तथा इनके ललतल वनलडु डरुड डलरुडण, डरलसंकलडडय और अडय अडललषुड (डुरलत एवं सडडडर संडललन) डलरुड, 2016 तथा लुडक डलडलड डुडल अडलनलडड, 1991 (डुडल संशुडलत) के अडुन डलनलडलषुड की जा सकलती है।

34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने का बतु निर्णय ले सके। छद्मान में कोई भी विस्तार अथवा उन्मथन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण नगदल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स किरस्टोन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड माईन-1 (प्रो. - श्री वैकटेश्वर राव)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर, ग्राम-मुरदण्डा,
तहसील-ऊसूर, जिला-बीजापुर में साधारण पत्थर (गीण खनिज) उत्खनन
समता-58,992 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (डोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से मूला पत्थर का अधिकतम उत्खनन 58,992 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं को सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह वाता, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा रक्षक प्राधिकारी से अनुमोदित माईन बलोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. मू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन अंश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी विपत्ती / घट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अतः, स्टीन, ट्रांसपार प्वाइटर (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उचित दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न प्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टेय मार्ग, रैम्प, संरक्षण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंट्रोलिंग कम संवर्धन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इतना सतत संचालन / साधारण सुनिश्चित किया जाए। विषह ड्रेकिन ताल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विभिन्न

मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परियोजना वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. लीज क्षेत्र के सारी तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की छोटी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उत्थार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कोनक्रेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वाणिज्यिक/वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के समीप जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकनेकली कण्डे वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए –

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Awapalli	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यकार स्वयं का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. सक्षम प्राधिकारी से वृक्षों की कटाई हेतु विधिवत अनुमति उपराल ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (चारी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), लॉल रोड, ओवरसॉन कम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, रीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
20. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपराल सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लॉस्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के तप असांभ्य प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे कितनी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मीग समिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ मीग समिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यदि कम्पिंग भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी सारवनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
25. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. भूमिकों का समय-समय पर आवश्यकता अनुसार हेल्थ सर्विलेस कराना आवश्यक है।

27. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकरण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के सतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seia309.org पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेंट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के सक्षम में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षणय और अन्य अपशिष्ट (प्रवह एवं सीमापार संवहन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः

सर्वीन जानकारी सहित सुचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जो उनको क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

गैसर्स किरस्टोन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड माईन-2 (प्रो.- श्री बेंकटेश्वर राव) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर, ग्राम-मुरदण्डा, तहसील-ऊसूर, जिला-बीजापुर में साधारण पत्थर (गीण खनिज) उत्खनन क्षमता-53,196 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकात्मक उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से भूत पत्थर का अधिकात्मक उत्खनन 53,196 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुन्डरे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इस प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोफ्टीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिपालन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जी भी कड़ीर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह जंगल, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. मू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी विन्नी / वैट / घाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कशर स्क्रीन, ट्रासफर घाईटस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। फहुंच मार्ग, रेम, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / साधारण सुनिश्चित किया जाए। विषड ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट

मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी फट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस फट्टी में वृक्षरोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान इटाई नई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग की स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्क्रेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरलैंडिंग एवं अनुसूची / बिछी अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्ण से विनष्टित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डंप की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग डंप का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षरोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुसूची / बिछी अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को खनन के पर्याप्त बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटर्निंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकनेक्ली काहर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को बमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए -

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.30	Following activities at Nearby Government Primary School	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

15. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवाह चर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. सक्षम अधिकारों से वृक्षों की कटाई हेतु विधिवत अनुमति तपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (घाटी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुरार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, रीसू, आम, इमली, अर्जुन, रीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिह्नीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हार्डहैट/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर टिकितराजीय जाँच एवं आवश्यकता अनुरार उनका उपचार भी कराया जाए।
20. सक्षम अधिकारों / डी.जी.एम.एस. से अनुमति तपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लॉस्टिंग किया जाए। फाथर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के तप अस्तुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण श्रमिक का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण श्रमिक नियम 2015 के प्राकधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुरार किया जाए। साईन एक्ट 1952 के प्राकधानों का पालन किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यदि कौमिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
25. श्रमिकों के लिए खानन स्थल पर स्वच्छ पेयजल टिकितराजीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. श्रमिकों का समय-समय पर आस्पुेशनल हेल्थ सर्विलेस कराना आवश्यक है।

27. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, स्थिति की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समर्थित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा कोन्ड, शब्द एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / विरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्तय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों को पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 तथा लोक वायुित्व बीम अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अर्थात् विनिर्देश की जा सकती है।
35. प्रस्तावित परियोजना को बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः

नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उत्खनन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति की उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्मल, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेंगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.